

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 593 दिनांक:- 17/8/2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- गिरिडीह जिलान्तर्गत मौजा-खापेबेरा, पीरटांड में 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या-FP/JH/VELEC/34134/2018 कुल-0.5139 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 1020 दिनांक 19.03.2020

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना FP/JH/VELEC/34134/2018 33/11 K.V सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 0.5139 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा पृच्छा की गई है।

विभाग द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1057 दिनांक 29.07.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो ने सूचित किया है कि विभाग द्वारा माँगे गये Online Part-II में अपेक्षित सुधार कर संशोधित Part-II हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 593

दिनांक 17/8/2020

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/विद्युत कार्यपालक अभियंता संचरण प्रमंडल गिरिडीह दक्षिणी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

0/

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. D.
14.8.20